झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
आपराधिक विविध याचिका सं. 39/2024

शिवम सिंह, उम्र लगभग 37 वर्ष, पिता- प्रभु प्रसाद सिंह, निवासी- सत्यम-शिवम-सुंदरम, डेला टोली, एच.बी. रोड, डाकघर- रिम्स, थाना- सदर, राँची, झारखण्ड। ... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखण्ड राज्य
2. दीपशिखा, उम्र लगभग 29 वर्ष, पत्नी- शिवम सिंह, पिता- राजीव रंजन कुमार, निवासी- डुप्लेक्स नं. 13, अन्नपूर्णा एनक्लेव, मित्री मार्ग, बरियातू हाउसिंग कॉलोनी, डाकघर व थाना- बरियातू, जिला- राँची, झारखण्ड। ... प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता की ओर से : सुश्री श्रुति श्रेष्ठा, अधिवक्ता
राज्य की ओर से : श्री प्रभु डी. अग्रवाल, विशेष लोक अभियोजक
प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से : श्री सुरेश प्रजापति, अधिवक्ता

<u>उपस्थित</u>

माननीय श्री न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा : दोनों पक्षों को सुना।

2. यह आपराधिक विविध याचिका दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए दाखिल की गई है, जिसमें 07.02.2023 के संज्ञान आदेश के साथ-साथ आपराधिक वाद सं. 10523/2022 से उत्पन्न समस्त आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जिसके तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी XXI, राँची द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323

और 498-ए के तहत अपराधों का संज्ञान लिया गया है और यह मामला वर्तमान में न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी XXI, राँची की अदालत में लंबित है।

3. याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 2/सूचक के अधिवक्ताओं ने इस न्यायालय का ध्यान वादकालीन आवेदन-पत्र सं. 508/2024 की ओर आकर्षित किया, जो याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 2/सूचक के पृथक-पृथक हलफनामों द्वारा समर्थित है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि दोनों पक्षों ने 09.01.2024 को पारस्परिक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करके 20 महीने से चले आ रहे लंबे विवाद का समाधान कर लिया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पक्षकारों के बीच का विवाद मूल रूप से वैवाहिक है और इसमें कोई सार्वजनिक नीति शामिल नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि सह अभियुक्ता शशिकला सिंह, जो प्रतिवादी संख्या 2/सूचक की सास हैं, के विरुद्ध संज्ञान आदेश को इस न्यायालय ने 12 फरवरी, 2024 को आपराधिक विविध याचिका सं. 4140/2023 में रद्द कर दिया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने आगे कहा कि समझौते के मद्देनजर सूचक इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हैं, इसलिए इस आपराधिक कार्यवाही का जारी रहना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, क्योंकि समझौते के चलते याचिकाकर्ता के दोषसिद्धि की संभावना क्षीण है। इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि 07.02.2023 का संज्ञान आदेश तथा आपराधिक वाद सं. 10523/2022 से उत्पन्न समस्त कार्यवाही, जो वर्तमान में न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी XXI, राँची की अदालत में लंबित है, को रद्द कर दिया जाए।

4. राज्य की ओर से उपस्थित विशेष लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया कि पक्षकारों के बीच हुए समझौते के मद्देनजर राज्य को 07.02.2023 के आदेश, जिसके तहत शिकायत मामला संख्या 10523/2022 में संज्ञान लिया गया है और जो वर्तमान में न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी XXI, रांची की अदालत में लंबित है, को रद्द और निरस्त करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

5. बार में की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद, यह उल्लेख करना उचित होगा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **परबतभाई अहीर @ परबतभाई भीमसिंहभाई करमूर और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य (2017) 9 एससीसी 641 में** रिपोर्ट किया गया, के मामले में, पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर विचार किया था और पैरा 11 में निम्नलिखित निर्णय दिया था:-

*"**11.** धारा 482 एक अभूतपूर्व प्रावधान के साथ प्रस्तुत की गई है। यह अधिनियम उच्च न्यायालय की स्वाभाविक शक्ति को बचाता है, जो एक उच्च न्यायालय के रूप में (i) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या (ii) अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश देने की शक्ति रखता है। गियान सिंह [गियान सिंह बनाम राज्य पंजाब, (2012) 10 एससीसी 303 : (2012) 4 एससीसी (नागरिक) 1188 : (2013) 1 एससीसी (क्रि) 160 : (2012) 2 एससीसी (एल एंड एस) 988] मामले में, इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस विषय पर न्यायिक प्रचलन का अवलोकन किया और कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए जिन्हें उच्च न्यायालय को यह निर्धारित करते समय ध्यान में रखना चाहिए कि क्या स्वाभाविक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए एफआईआर या शिकायत को रद्द किया जाए। उच्च न्यायालय को ध्यान में रखने वाले विचार ये हैं: (एससीसी पृष्ठ 342-43, पैराग्राफ 61)*

> *"61. ... उच्च न्यायालय द्वारा अपनी अंतर्निहित अधिकारिता का उपयोग करते हुए किसी आपराधिक कार्यवाही, एफआईआर या शिकायत को रद्द करने की शक्ति, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के तहत अपराधों के समझौते के लिए आपराधिक न्यायालय को दी गई शक्ति से भिन्न और अलग है। यह अंतर्निहित शक्ति व्यापक और बिना किसी वैधानिक सीमा के होती है, लेकिन इसका उपयोग उन दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए जो इस शक्ति में निहित हैं, अर्थात्: (i) न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करना, या (ii) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना। किस प्रकार के मामलों में, जब अपराधी और पीड़ित ने अपने विवाद को सुलझा लिया है, आपराधिक कार्यवाही, एफआईआर या शिकायत को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और कोई विशिष्ट श्रेणी निर्धारित नहीं की जा सकती है।हालांकि, इस शक्ति का उपयोग करने से पहले, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर उचित ध्यान देना होगा। जघन्य और मानसिक विकृति वाले गंभीर अपराध, जैसे हत्या, बलात्कार, डकैती आदि, को रद्द नहीं किया जा सकता, भले ही पीड़ित या उसके परिवार और अपराधी ने समझौता कर लिया हो। ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं।इसी तरह, ऐसे अपराध जिनमें पीड़ित और अपराधी के बीच समझौता हो, लेकिन वे विशेष अधिनियमों के तहत आते हैं, जैसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध या लोक सेवकों द्वारा उनके पद पर रहते हुए किए गए अपराध, ऐसे मामलों में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आधार प्रदान नहीं किया जा सकता है। <u>हालांकि, ऐसे आपराधिक मामले जो मुख्यतः और प्रमुखता से दीवानी प्रकृति के होते हैं, उन्हें रद्द करने के लिए अलग दृष्टिकोण</u>*

अपनाया जा सकता है, विशेष रूप से वे मामले जो व्यावसायिक, वित्तीय, वाणिज्यिक, दीवानी, साझेदारी या इसी प्रकार के लेन-देन से संबंधित हैं, या विवाह से जुड़े मामलों में जैसे दहेज आदि से संबंधित विवाद, या परिवारिक विवाद जिनमें गलती मूल रूप से निजी या व्यक्तिगत प्रकृति की होती है और पक्षकारों ने अपने पूरे विवाद का समाधान कर लिया है। ऐसे मामलों में, यदि उच्च न्यायालय यह मानता है कि अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के कारण, दोषसिद्धि की संभावना अत्यंत कम और असंभाव्य है, और आपराधिक मामला जारी रहने से आरोपी को गंभीर उत्पीड़न और अन्याय का सामना करना पड़ेगा, तो न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को समाप्त कर सकता है। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि क्या आपराधिक कार्यवाही जारी रखना अनुचित होगा या न्याय के हितों के विपरीत होगा, और क्या कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, जबकि पीड़ित और अपराधी के बीच समझौता और समाधान हो चुका है। यदि इन प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक है, तो उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर इस कार्यवाही को रद्द करने के लिए पूरी तरह सक्षम होगा।" (विशेष जोर दिया गया है)

6. रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि इस मामले में संलिप्त अपराध न तो जघन्य हैं और न ही इसमें कोई मानसिक विकृति का गंभीर अपराध शामिल है, बल्कि यह मामला पक्षकारों के बीच व्यक्तिगत विवाद से संबंधित है।

7. आरोपी और पीड़ित के बीच पूर्ण समझौते के कारण, याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि की संभावना नगण्य और असंभाव्य है, और आपराधिक मामला जारी रहने से याचिकाकर्ता को गंभीर उत्पीड़न और अन्याय का सामना करना पड़ेगा।

8. अतः यह न्यायालय इस विचार में है कि यह मामला ऐसा है, जहां 07.02.2023 के आदेश को, जिसके तहत शिकायत मामला संख्या 10523/2022 में न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी XXI, रांची द्वारा संज्ञान लिया गया है और जो वर्तमान में न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी XXI, रांची की अदालत में लंबित है, को रद्द और समाप्त किया जाना चाहिए।

9. तदनुसार, आदेश संख्या 07.02.2023 द्वारा संज्ञान लिया गया और उसके तहत समस्त आपराधिक कार्यवाही जो कि शिकायत प्रकरण संख्या 10523/2022 से उत्पन्न हुई, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट-1st क्लास XXI, रांची द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ संज्ञान लिया गया है, जो अब न्यायिक मजिस्ट्रेट-एफ.सी.-XXI, रांची के न्यायालय में लंबित है, याचिकाकर्ता के खिलाफ निरस्त और रद्द किया जाता है।

10. परिणामस्वरूप, यह आपराधिक विविध याचिका स्वीकृत की जाती है।

11. इस प्रकार, वर्तमान आपराधिक विविध याचिका के निपटारे के दृष्टिगत, आई.ए. संख्या 508/2024 भी उसी के अनुसार निस्तारित की जाती है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायाधीश)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 19 फरवरी, 2024
एएफआर/ अनिमेष

***यह अनुवाद मो. नसीम अख्तर पैनल अनुवादक (झारखंड उच्च न्यायालय, रांची) द्वारा किया गया।**